रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227737
CG-DL-E-21062021-227737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2021/ज्येष्ठ 31, 1943
No. 340] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2021/JYAISTHA 31, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2021

सा.का.नि. 424(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 21 के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थातः—

"21क अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र में बहुपक्षीय अथवा एकपक्षीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा इकाई की स्थापना करना :-

(1) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं असंक्राम्यता) अधिनियम 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित किसी बहुपक्षीय या एकपक्षीय या अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी को अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र में एक इकाई के रूप में अपना स्थानीय या क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की अनुमति होगी।

(2) अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र में ऐसी इकाइयों की स्थापना करने और उनका प्रचालन करने के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त के जरिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष किया जाएगा।

(3) ऐसी इकाइयों की स्थापना करने तथा उनका प्रचालन करने के नियम और शर्तें अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकास आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(4) इन नियमों के अधीन अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुमोदन बोर्ड, ऐसी इकाइयों को इन नियमों के किसी उपबंध से छूट दे सकता है जिसमें सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन करने या वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्ट फाइल करने या ऐसे अन्य छूट से संबंधित उपबंधो सहित इन नियमों के किसी उपबंधो से उन इकाइयों की छूट दे सकता है।

(5) ऐसी इकाइयों के अनुमोदन पर विस्तार के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

[फा.सं. के-43014(16)/27/2019-एसइजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खण्ड-3, उप खण्ड (i) की अधिसूचना सं. जीएसआर 54(अ) तारीख 10 फरवरी, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया और अधिसूचना सं. जीएसआर 678(अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2020 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

IndiaCode

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16 June, 2021

G.S.R. 424 (E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely:—

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 21, the following rule shall be inserted, namely: -

"21A. Setting up of Unit by Multilateral or Unilateral or International agencies in International Financial Services Centre. -

(1) A Multilateral agency or Unilateral agency or International agency notified under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) shall be allowed to set up their local or regional office in the International Financial Services Centre as an Unit.

(2) The application for setting up and operation of such Unit in the International Financial Services Centre shall be made before the Board of Approval through the concerned Development Commissioner.

(3) The terms and conditions for setting up and operations by such Units shall be laid down by the Board of Approval based on the recommendation of the Development Commissioner.

(4) Notwithstanding anything contained under these Rules, the Board of Approval may exempt such Units from any provisions of these Rules including provisions relating to positive Net Foreign Exchange earning or

filing of Annual Performance Report or such other exemption, based on the recommendation of the Development Commissioner.

(5) The proposal for extension of the Letter of Approval of such Units shall be considered by the Board of Approval.".

[F.No. K-43014(16)/27/2019-SEZ]
AMITABH KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 54(E), dated the 10th February, 2006 and last amended *vide* notification number G.S.R. 678(E), dated the 23rd October, 2020.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.21 19:07:07 +05'30'